न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी–गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–100/2010 वाद पत्र

उनवान

1. धन्ना आत्मज भग्गा गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. [illegible] लाल आत्मज सालग गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. [illegible] आत्मज सालग गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. [illegible] आत्मज सालग गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. [illegible] बेवा सालग गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. सुरेश चन्द्र आत्मज घनश्याम लाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. जगदीशचन्द्र आत्मज घनश्याम लाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. नारायणलाल आत्मज मोहन लाल सनाढ्य मृतक के बजाय

3.1 मनोहरलाल आत्मज नारायणलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3.2 राजेश आत्मज नारायणलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3.3 अंजना पुत्री नारायणलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3.4 कृष्णा पुत्री नारायणलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

4. श्यामलाल आत्मज मोहन लाल सनाढ्य मृतक के बजाय

4.1 कैलाशचन्द्र आत्मज श्यामलाल सनाढ्य मृतक के बजाय
4.1.1 हिमांशु आत्मज कैलाशचन्द्र सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4.1.2 विजयलक्ष्मी पुत्री कैलाशचन्द्र सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

5. शंकरलाल आत्मज मोहन लाल सनाढ्य ला औलाद फॉथ होने से डिलिट किया गया
6. प्रमोदकुमार आत्मज सुरेशलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
7. रतनीदेवी बेवा सुरेशलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
8. जगदीशनाथ आत्मज लालनाथ पाण्डे नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
9. शिवानाथ आत्मज लालनाथ पाण्डे नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गोपीबाई बेवा घनश्याम लाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद – **अधिवक्ता वादीगण**
2. **पर्वत सिंह,हरिश टेलर** **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक 19.02.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डागड़ा पटवार क्षेत्र झड़ोल भु.अ.क्षेत्र मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की अन्य आराजियात के साथ आराजी संख्या 249 रकबा 3.95 हैक्ट. अवस्थित है। समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 तक वाद पत्र के साथ सलग्न है। वाद पत्र के चरण क्रम 1 में अकित आराजी जिसे आगे इस वाद में (विवादित आराजी) से सम्बोधित किया जावेगा के पुराने आराजी

नम्बर 154/2 51 बीघा 10 बिस्वा थे परन्तु ग्राम डागड़ा के नवीन भू प्रबन्ध हो जाने से पुरानी आराजी संख्या 154/2 के विभिन्न नये आराजी नम्बर 249 से लेकर 262 तक बनाये है। प्रमाण में नकल तुलनात्मक क्षेत्रफल खसरा वाद पत्र के साथ सलग्न है। विवादित आराजी पूर्व में स्वर्गीय मोहन लाल आत्मज बनुलाल सनाढ्य निवासी कोढारिया तहसील नाथद्वारा व श्रीमति अम्बा बाई बेवा मोडीलाल सनाढ्य निवासी उदयपुर की अन्य संयुक्त आराजियात के अलावा आराजी संख्या 154/1 56 बीघा 10 बिस्वा अवस्थित थी। मोहनलाल जी का स्वर्गवास सन् 77 से पूर्व हो गया जिनकी सही तारीख मिति वादीगण को याद नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 स्व. मोहनलाल जी के विधिक उतराधिकारी है तथा अम्बाबाई का स्वर्गवास सन् 77 से पूर्व हो गया जिनकी सही तारीख मिति वादीगण को याद नही है। स्व. अम्बाबाई के गुलाब ाबई पुत्रा हुयी जिसका भी स्वर्गवास हो गया जिनकी सही तारीख मिति वादीगण को याद नही है। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 मृतक गुलाबबाई के विधिक उतराधिकारी है। विवादित आराजी संख्या 154/1 स्व. मोहनलाल का 1/2 हिस्सा था। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 व सवंत 2030 से 2033 तक प्रतिया साथ सलग्न है। वाद पत्र के चरण कम एक में वर्णित आराजी संख्या 249 साबिक नम्बर 154/2 मे से स्वर्गीय मोहनलाल सनाढ्य का 1/2 हिस्सा था जिनमे से 12 बीघा जमीन जरिये पंजीबद्व विकय पत्र बिल एवज 300/– रूपयो में दिनांक 12.10.1957 को भज्जा आत्मज जालम गुर्जर नि. डागड़ा को विकय कर दी। भज्जा जिसका स्वर्गवास संवत 2025 के मगसर बुदी 12 को हो गया तथा जो वादीगण का पुर्वज था। स्व. भज्जा जी द्वारा विवादित आराजी को कय करने से पूर्व इसका क्षेत्रफल 56 बीघा 10 बिस्वा था जिसमें से 28 बीघा 5 बिस्वा भूमि उसके हिस्से की थी। जिसमें से करीब 12 बीघा भूमि का पंजीबद्व विकय विलेख स्व. भज्जा जी गुजर के पक्ष में तरबीब दिला भैतिक रूप से आधिपत्य स्व. भज्जा जी को तत्समय ही सिपूर्द कर दिया था। वादीगध के पूर्वज स्व. भज्जा द्वारा अचल विकगय पत्र कही गुम हो जाने से उक्त विकय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। स्व. भज्जा द्वारा आराजी संख्या 154/1 मे से 12 बीघा भूमि कय करने के बाद तथा कुछ अन्य आराजी दुसरे सह खातेदार स्व. अम्बाबाई द्वारा अन्यो को विकय कर देने से इससम्पूर्ण क्षेत्रफल में 51 बिघा 10 बिस्वा भूमि शेष होकर उसका आराजी नम्बर 154/2 पड़ा। स्व. भज्जा द्वारा 12 बिघा भूमि कय करने पर विकय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी ने नामान्तरण संख्या 11 भरा परन्तु तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक ने इस हिदायत के साथ निर्देशित किया कि मौके की सर्वे कर नक्से में पेंसिली तरमीम कर पेश करे तथा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत इस कारण से नही हुआ तथा विवादित आराजी संवत 2033 तक स्व. मोहनलाल व स्व. अम्बाबाई के नाम ही अभिलिखित चलती रही तथा उनके निधन के पश्चात् वर्तमान प्रतिवादीगण के नाम अभिलिखित कर दी गई जो राजस्व रिकार्ड में स्पष्ठ परिलखित होती है। तत्समय अपखण्डन का सिद्वान्त भी प्रभावी था। इस कारण जब तक पुरे क्षेत्रफल का विकय न हो जावे तब तक अन्तरण की प्रकिया विधिक रूप से नही हो सकती थी। उक्त कारण से भी उक्त विकय पत्र के आधार पर वादीगण के पूर्वजो के नामान्तरकरण स्वीकृत नही हो सका प्रमाण में नकल नामान्तरकरण संख्या 11 व जमाबन्दी प्रतिया सवंत 2037 से 2040 तक संवत 2042 से 2045 तक संवत 2046 से 2049 तक एवं 2050 से 2053 तक वाद पत्र के साथ सलग्न है। वादीगण के खानदान का सजरा निम्नानुसार है।

जालम जी गुजर स्वर्गीय
भज्जा जी गुजर स्वर्गीय
दामा वादी स0 1 — सालग स्वर्गीय

गेहरीलाल — वादी स0 2
राजु — वादी स0 3
भागीरथ — वादी स0 4
मु. गंगा — वादी स0 5

उपरोक्त सजरेनुसार वादीगण के परिवार के मूल पुरूष स्वर्गीय जालम जी थे, जिनका स्वर्गवास कभी का हो गया तथा उनके स्वर्गवास की सही तारीख मिति अब वादीगण को याद नही है। स्वर्गीय जालम के एक पुत्र भज्जा हुआ जिसका स्वर्गवास संवत 2025 मगसर बुदी 12 को हो गया। स्वर्गीय भज्जा के 2 पुत्र कमशः दामा व सालग हुए जिसमें से सालग की मृत्यु दिनांक 11.11.06 को हो गई तथा वादीगण संख्या 2 लगायत 5 स्वर्गीय सालग के विधिक उतराधिकारीगण है। वादीगण स्वर्गीय भज्जा जी के वारिसान है तथा विवादित आराजी का स्वर्गीय भज्जा जी के परिजन वक्त खरीद यानि 50 वर्ष से ही उपयोग उपभोग कर निर्बाद रूप से कृषि लाभ लेते आ रहे है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कीसी प्रकार का कोई सरोकार नही है। केवल मात्र राजस्व अभिलेखी में ही विवादित आराजी उनके

नाम अभिलिखित चल रही है। सबब विक्रय विलेख पत्र एवं लम्बे अन्तराल के आधिपत्य के आधार पर विवादित आराजी संख्या 249 रकबा 3.95 हैक्ट. मे से 12 बीघा भूमि यानि 2.59 हैक्ट. भूमि के वादीगण खातेदार कृषक घोषित किये जाने के अधिकारी है। ग्राम डागड़ा का नवीन भू प्रबन्ध हो जाने से पुरानी आराजी संख्या 154/2 के विभिन्न नये नम्बर बनाये गये। वादीगण ने विवादित आराजी को हल्का पटवारी द्वारा सीमा की जानकारी करायी तो उनहे पता चला की उनका आधिपत्य नवीन आराजी संख्या 249 पर ही है तथा वक्त खरीद से वादीगण उसीजगह पर निर्बाद रूप से काबिज चले आ रहे है प्रमाण में नक्सा ट्रैस की प्रतिया पुरानी एवं नवीन साथ संलग्न है। वादीगण संख्या 2 लगायत 5 के पिता व पति स्वर्गीय सालग का नीधन होने के पश्चात्वादी संख्या एक ने दिनांक 18.11.06 को हल्का पटवारी जी से जानकारी चाही तो उसे पता चला कि विवादित आराजियात तो अभी भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के नाम पर अभिलिखित है तो उसने आवश्यक नकले आदी प्राप्त की तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी संख्या 1 एवं स्वर्गीय सालग के विधिक उतराधिकारीगण जो कि वादी संख्या 2लगायत 5 है वाद हेतु विवश होना पड़ा है प्रतिवादी संख्या 10 भूमिधारी होकर राजस्व संबधी इन्द्रज को दुरस्त करने हेतु राज्यसरकार को प्रतिनिधि होकर आवश्यक पक्षकार है वाद हेतु दिनांक 18.11.06 से पैदा होकर निरन्तर जारी है तथा यह वाद पत्र अप्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.07.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उन्होने अपना जवाब भी प्रस्तुत किया और न्यायालय द्वारा तनकियात भी कायम की जा चुकी है और वादीगण की और से शहादत प्रस्तुत हुयी है किन्तु पक्षकारो में आपस में राजीनामा हो जाने से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 19.02.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में पेशी दिनांक 21.02.19 की नियत है और उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है तथा व आज ही राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है जिससे उक्त प्रकरण की प्रत्रावली को आज ही सिगह से तलब फरमायी जाना आवश्यक हो गया है प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली आज तलब की गई वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया जो सामिल पत्रावली किया गया वादीगण की पहचान वादीगण के अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उक्त वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्व बाबत् स्वत्व घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वादीगण ने प्रस्तुत किया है जिसमें आराजी संख्या 249 रकबा 3.95 हैक्ट. मे से 2.49 हैक्ट. भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है किन्तु पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिससे दोनो पक्षकारो की सहमति से उक्त आराजी संख्या 249 मे से 1.975 हैक्ट. की खातेदारी अधिकार की घोषणा वादीगण के पक्ष में करायें जाने मे हम प्रतिवादीगण सहमत है। उक्त भूमि मे वादी संख्या 1 दामा का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 लगायत 5 का दर्ज किये जाने मे दोनो पक्षो को कोई आपति नही है। शेष हिस्से के लिये वादीगण भविष्य में कभी कोई क्लेम प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश नही कर सकेंगें और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बजाय वादीगण का नाम ग्राम डागड़ा की आराजी संख्या 249 रकबा 3.95 हैक्ट. मे से 1.975 हैक्ट. के खातेदारी अधिकार की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराये जाने में उक्तानुसार वादपत्र डिकी करने तथा राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किया जाना। एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के बदस्तुर रखाने की डिकी किया जाना मुताबिक राजीनामा न्यायोचित प्रतित होता है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

ग्राम डागड़ा पटवार हल्का झड़ोल के आराजी संख्या 249 रकबा 3.95 हैक्ट. भूमि [illegible] हैक्ट. भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमे वादी संख्या [illegible] का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने एवं शेष रकबा प्रतिवादीगण के बदस्तुर रखने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

गोविन्द सिंह
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–100/2010 वाद पत्र

उनवान

1. दामा आत्मज भग्गा गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. गेहरी लाल आत्मज सालग गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. भागीरथ आत्मज सालग गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. राजु आत्मज सालग गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. गंगा बेवा सालग गुजर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. रमेश चन्द्र आत्मज घनश्याम लाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. जगदीशचन्द्र आत्मज घनश्याम लाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. नारायणलाल आत्मज मोहन लाल सनाढ्य मृतक के बजाय

3.1 मनोहरलाल आत्मज नारायणलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3.2 राजेश आत्मज नारायणलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3.3 अंजना पुत्री नारायणलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3.4 कृष्णा पुत्री नारायणलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

4. श्यामलाल आत्मज मोहन लाल सनाढ्य मृतक के बजाय

4.1 कैलाशचन्द्र आत्मज श्यामलाल सनाढ्य मृतक के बजाय
4.1.1हिमांशु आत्मज कैलाशचन्द्र सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4.1.2विजयलक्ष्मी पुत्री कैलाशचन्द्र सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

5. शंकरलाल आत्मज मोहन लाल सनाढ्य ला औलाद फॉथ होने से डिलिट किया गया
6. प्रमोदकुमार आत्मज सुरेशलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
7. रतनीदेवी बेवा सुरेशलाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
8. जगदीशनाथ आत्मज लालनाथ पाण्डे नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
9. शिवानाथ आत्मज लालनाथ पाण्डे नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गोपीबाई बेवा घनश्याम लाल सनाढ्य नि0कोढारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम डागड़ा पटवार हल्का झड़ोल के आराजी संख्या 249 रकबा 3.95 हैक्ट.

भूमि मे से 1.975 हैक्ट. भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमे वादी संख्या 1 दामा का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने एवं शेष रकबा प्रतिवादीगण के बदस्तुर रखने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

यह आज तारीक 19.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा